भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या # 2632
दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड जारी करना

2632. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण जन को संस्थागत ऋण प्रदान करने हेतु संपत्ति कार्ड के उपयोग की निगरानी करने और उसे बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ किस प्रकार कार्य कर रहा है;

(ख) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अब तक कितने गांवों का सर्वेक्षण किया गया है और कितने संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) जिले के सभी राजस्व गांवों में ड्रोन आधारित संपत्ति सर्वेक्षण पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की संभार संबंधी या प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पारदर्शी संपत्ति कर संग्रहण के लिए पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत प्रणालियों के साथ स्वामित्व डेटा को एकीकृत करने की क्या स्थिति है; और

(च) क्या दक्षिण कन्नड़ में कोई गांव कानूनी/तकनीकी/काश्तकारी मुद्दों के कारण इस योजना से बाहर रह गया है और यदि हां, तो इस तरह से बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं और उन्हें योजना में शामिल करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पंचायती राज मंत्रालय बैठकें करने के अलावा ग्रामीण नागरिकों के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्डों के उपयोग को ट्रैक करने और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ-साथ बैंकों के साथ लगातार संपर्क में है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के एजेंडे में आमतौर पर स्वामित्व संपत्ति कार्डों पर ऋण देने से संबंधित एक मद होता है, ताकि गिरवी रखने के उद्देश्य से संपत्ति कार्ड की स्वीकृति को आसान बनाया जा सके ।

(ख) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कुल 422गांवों में से 81गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है और उन 81गांवों में 2,605संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।

(ग) स्वमित्व योजना मार्च 2026में समाप्त हो जाएगी ।

(घ) मंत्रालय ने राज्य के गांवों में ड्रोन उड़ान, जमीनी सत्यापन और संपत्ति कार्डों के वितरण की धीमी प्रगति को स्वामित्व योजना लागू होने में चुनौतियों के रूप में देखा है।

(ड) राज्य ने पारदर्शी संपत्ति कर संग्रह के लिए स्वमित्व डेटा को पंचायतों की स्वयं के राजस्व स्त्रोत प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया है।

(च) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के शेष गांवों को स्वामित्व सर्वेक्षण के तहत नहीं लिया गया है क्योंकि इस जिले में ग्रामथाना या कॉम्पैक्ट आवास बस्तियां नहीं है।आवासों की बसावट अत्यधिक बिखरीहुई है।

***